राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/2018/२५१२१ - २५३५२ जयपुर, दिनांकः ०८/२/२०१९

1. **समस्त उप निदेशक, मबावि।**
2. **समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।**
3. **समस्त प्रभारी अधिकारी वाद, ...मुख्यालय।**

विषयः– लाईट्स वेबसाईट पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा बाबत।

संदर्भ:– बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 30.01.2019 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लाईट्स सॉफ्टवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईट्स एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 30.01.2019 को बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 30.01.2019 के अनुसार प्रकरणों की समीक्षा कर लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपडेशन/अपलोड आदि की सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं के संबंध अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें–

1. किसी भी न्यायालय से नोटिस आदि प्राप्त होने पर तत्काल उसकी प्रति निदेशालय को भिजवावें ताकि उस प्रकरण में प्रभारी अधिकारी आदि की नियुक्ति करवाया जाना सम्भव हो सके।
2. रेड केटेगरी के प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करवाने हेतु संबंधित राजकीय अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। यदि प्रकरण के संबंध में कोई तथ्यात्मक स्थिति परिवर्तित हुई है तो उसे संबंधित राजकीय अधिवक्ता के परिज्ञान में लाकर उनकी सलाहनुसार कार्यवाही करें।
3. ड्यू कोर्स में लम्बित न्यायिक प्रकरणों के संबंध में संबंधित राजकीय अधिवक्ता से विचार–विमर्श करने के उपरान्त, आवश्यक होने पर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना–पत्र न्यायालय में दायर करावें।
4. जिन प्रकरणों में राज्य के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित है उन प्रकरणों में पारित स्थगन आदेश को वैकेट कराने के लिए संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से ठोस प्रयास करें।
5. लाईट्स वेबसाईट पर सभी न्यायिक प्रकरणों के संबंध में मासिक सूचना का इन्द्राज हर माह की पांच तारीख तक आवश्यक रूप से करें एवं अपडेशन आदि का इन्द्राज दिन प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित करें।
6. न्याय विभाग द्वारा नियुक्त जिला नोडल अधिकारी एवं जिला कलक्टर के यहां आयोजित बैठक में उपस्थित होकर लाईट्स सॉफ्टवेयर पर दर्ज किये गये प्रकरणों, अपडेशन किये गये प्रकरणों से संबंधित नवीनतम जानकारी से अवगत करावें।
7. लाईट्स सॉफ्टवेयर पर न्यायिक प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों (Documents) यथा सम्मन/जवाबदावा/याचिका की प्रति/अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश/न्यायालय निर्णय की प्रति आदि–आदि दस्तावेजों को अपलोड कराने की कार्यवाही समय–समय पर सुनिश्चित करावें।
8. 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के लम्बित प्रकरणों तथा 20 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों की नवीनतम स्थिति संबंधित राजकीय अधिवक्ता को उपलब्ध कराकर प्रभावी पैरवी करवाकर प्रकरण का निस्तारण करावें।
9. निर्णय की पालना से शेष प्रकरणों तथा अपील करने से शेष प्रकरणों का अपडेशन तत्काल न्याय विभाग की वेबसाईट लाईट्स पर आवश्यक रूप से करें।

उक्त निर्देशों को गम्भीरता से लेते हुए लाईटस सॉफटवेयर पर अपडेट/अपलोड आदि की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

उप विधि परामर्शी
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/2018/25331-25336 जयपुर, दिनांकः 06/02/2019

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर।
3. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (लाईट्स) एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव, मबावि विभाग, राज. जयपुर को बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 30.01.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
4. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

उप विधि परामर्शी
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर